

प्रेषक -

प्रिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

गोरखपुर

सेवा में,

प्रबन्धक,

संस्कृति पब्लिक स्कूल रागाडा-
द्विधनगाट, नगाछेरा - गोरखपुर।

पत्रांक / न०सि०३१० / १५०५-१० / २००७-०८

दिनांक : ०६/०६/०७

विषय:-प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में जनपदीय मान्यता समिति के निर्णयानुसार प्राथमिक स्तर की अस्थाई मान्यता, शासनादेश सं०-२३० / १५-०६-९६-१९ एस-(७) दिनांक १८.०१.९६ एव शासनादेश संख्या-१९७३(१) / १५-०६-९८-१९ एस०(७) / ८९ दिनांक १०.०९.९८ के क्रम में निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सत्र २००७-०८ से प्रदान की जाती है।

१. पारिषदीय पाठ्यक्रमानुसार ही शिक्षा दी जाये।
२. अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति मान्य नहीं है। अतः अध्यापकों की नियुक्ति, अनुमोदन, अनुमति प्राप्त कर चालू सत्र में करा दिया जाय।
३. अवैधानिक कक्षायें संचालित न की जाये,।
४. दिना पूर्व अनुमति के कोई भी कक्षा उपवर्ग बंद व समाप्त, स्थानान्तरित न किये जाये।
५. विभागीय नियमों के अनुसार शिक्षण शुल्क लिया जायेगा तथा उसका लेखा-जोखा रखना जायेगा।
६. इस कार्यालय के अनुमति के बिना किसी आई प्रशिक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त नहीं की जायेगी।
७. विभागीय नियमों एवं आदेशों के उलंघन तथा अनियमित कार्यों की दशा में मान्यता निरस्त करने का अधिकार अखोहरस्ताक्षरी को सुरक्षित है।
८. रथायी मान्यता प्राप्त करने हेतु पांच वर्ष के अन्दर लिखित सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
९. नियमानुसार पाँच वर्ग मान्य होंगे।

भवदीय

प०सं० / न०सि०३१० /

२००७-०८

दिनांक :

प्रतिलिपि - निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एव आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. जिला समाज कल्याण अधिकारी / पीठडा दंग कल्याण अधिकारी / विकलांग कल्याण अधिकारी / अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोरखपुर।
२. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी गोरखपुर
३. नगर शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
४. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र ... गोरखपुर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर
०५/०६/०७

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर